पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो–01–15 / 2016गृ0आ0..... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

विषयः– **महामहिम भारत के राष्ट्रपति के आगमन पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्राप्त अधियाचित राशि का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महामहिम भारत के राष्ट्रपति के आगमन पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु आपसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय पत्रांक–24, दिनांक 11.08.2016 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त निम्नांकित रूप से कुल ₹ 15,00,000 (पन्द्रह लाख रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है :–

क्र0	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1.	13 01–कार्यालय व्यय	₹ 0	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000
2.	13 02–वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	₹ 8,82,000	₹ 5,00,000	₹ 13,82,000
	कुल	₹ 8,82,000	₹ 15,00,000	₹ 23,82,000

2. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग सं0–22 मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0009–प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01–कार्यालय व्यय तथा 13 02–वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, नालन्दा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / ब0गै0यो0–01–15 / 2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / ब0गै0यो0–01–15 / 2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक 26 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव